1	2	3	4	5
				जल विज्ञान और जल विद्युत् सिविल अभिकल्पों के पहलुओं को अभी परियोजना प्राधिकारियों द्वारा हल किया जाना है ।
7	कुलु-दो जल-विद्युत्	3×50 =150	11316 विद्युत्	के0 वि0 प्रा० के० ज० आ० में जांच की जा रही है । (रिपोर्ट फरवरी, 1982 में प्राप्त हुई थी ।

रिहन्द पन बिजलीघर में मध्य प्रदेश का हिस्सा

4796. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**

श्री कालो चरण शर्मा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के रिहन्द पनबिजलीघर में विद्युत् उत्पादन में मध्य प्रदेश का 15 प्रतिशत हिस्सा है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड मध्य प्रदेश को बिजली में उसके पूरे हिस्से को सप्लाई कर रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश को बिजली में उसका पूरा हिस्सा दिलाना सुनिश्चित करने हेतु कोई पहल तथा कार्यवाही कर रही है ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश को बिजली में उसका हिस्सा सप्लाई न किए जाने के लिए मआवजा के भुगतान हेतु मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के बीच कोई समझौता हुआ है, और यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने मुआवजे का कोई दावा भेजा है और क्या उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड ने इस राज्य को मुआवजे की राशि का भुगतान किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तथा उसे मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) रिहन्द विद्युत् केन्द्र से उत्पन्न होने वाली विद्युत् में मध्य प्रदेश का भाग, विद्युत् घर में वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर उपलब्ध बिक्री योग्य ऊर्जा का 15 प्रतिशत है । कुछ क्षमता सहायता का हकदार भी मध्य प्रदेश है ।

(ख) से (ङ) मध्य प्रदेश राज्य बिजली बार्ड, रिहन्द से विद्युत् का अपना पूरा भाग नियमित रूप से प्राप्त नहीं कर रहा है । मध्य प्रदेश के विद्युत् का भाग उत्तर प्रदेश द्वारा रख लिये जाने के बारे में मुआवजे की अदायगी के बारे में जून, 1977 में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के बीच एक समझौता हुआ था ।

उत्तर प्रदेश राज्य विजली बोर्ड ने सूचित किया है कि उनके द्वारा 1-9-67 से 30-9-80 तक की अवधि के लिए मुआवजे के रूप में मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को अदायगी योग्य राशि 738.764 लाँख रुपए है। यह सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लगाए गए हिसाब के अनुसार सम्पूर्ण राशि अदा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने अनन्तिम रूप से यह भी सूचित किया है कि अक्तूबर, 1980 से सितबम्र, 1981 तक की अवधि के लिए उनके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बिजली बार्ड का 194.46 लाख रुपयों की राशि का देय है। यह सभी आंकड़े दोनों राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किए जाने वाले सत्यापन के अध्यधीन हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि शेष राशि यथाशीघ्र अदा कर दी जाएगी।

शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य की तिथि

4797. **श्री बिलोद सिंह भूरिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के कब तक होने की संभावना है ;

(ख) ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए गांवों में विद्युत्-भार (पावर-लोड) में वृद्धि हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पम्पों तथा ग्रामीण उद्योगों, के लिए बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से देश में विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में कुल 5,76,126 गांव हैं, जिनमें से सितम्बर, 1981 के अन्त तक 2,77,895 गांव विद्युतीरण कर दिए गए हैं, जो कुल गांवों का 48 प्रतिशत बैठते हैं। राज्यों की संदर्शी योजना में, पर्याप्त साधनों से देश के सभी गांवों को अधिक से अधिक 1994-95 तक विद्युतीकृत किए जाने की व्यवस्था है।

(ख) और (ग). अर्थ व्यवस्था के उद्योगों, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों की विद्युत् की भावी मांग को पूरा करने के प्रयोजन छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान देश में 19,666 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन क्षमता चालू किए जाने का लक्ष्य है। छठी योजना में, वर्ष 1985 के अन्त तक एक लाख अतिरिक्त गांवों का विद्युतीकरण किए जाने तथा 25 लाख पम्पसेटों के अर्जित किए जाने की परिकल्पना है। गांवों में पम्प सेटों को तथा ग्रामीण उद्योगों की विद्युत् की बढ़ती हुई मांग का उपर्युक्त उपायों से पूरा कर लिया जाएगा।

Eastern Coalfields unable to get advantage of Additional Capacity

4798. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Eeastern Coalfields Limited has not been able to get advantage of the additional capacity of 2.7 million tonnes a year which is already in existence and to open new coal mines for expansion; and

(b) if so, the reasons thereof, and the corrective steps the Coal India Limited has taken or propose to take?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISRTRY OF ENERGY (SHRI GARGI SHANKAR MISHRA): (a) Yes, Sir.